

केंद्रीय विद्यालय संगठन(मु.)
 18, संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली- 110016
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQ)
18, Institutional Area, S.J. Marg, New Delhi 110016.
 Tel.: 011-2695168, 8860748880
 Email- mpquota@kvs.gov.in
 Website: www.kvsangathan.nic.in

केंद्रीय विद्यालय संगठन

File No: 11-PUB0GEN/3/2021-Publication/Spl.Disp./MP

दिनांक-09.07.2021

सांसद संस्तुति पर प्रवेश आदेश

माननीय सांसद **Shri Biswajit Daimary** के द्वारा के.वि.सं कूपन संख्या **715** के माध्यम से की गई संस्तुति के आधार पर निम्न विद्यार्थियों को माननीय सांसद के लिए विशेष छूट प्रवेश योजना के अंतर्गत सत्र 2021-22 में प्रवेश दिया जाना अनुमोदित किया जाता है:-

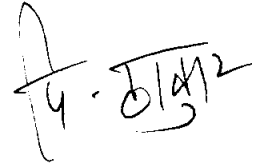
S.N.	Name of the Child	Father's/Mother's Name (in Capital letter) and address with mobile No.	Class	Name of KV
1	MISS BAIBHABI LALUNG	SH. BUDDHA LALUNG MOB- 8638694762	1	KHANAPARA
2	ARHAM GOLCHHA	SH. AJAY GOLCHHA MOB- 9883999345	1	KHANAPARA
3	JARIMIN GOYARY	SH. NIJWM GOYARY MOB- 8876448192	4	KHANAPARA
4	ANTARISK DEKA	SH. RUPJYOTI DEKA	1	NARENGI
5	RYAN CHINMOY KASHYAP	DR.CHINMOY KR. DAS MOB- 7002667196,6002543120	6	NOONMATI
6	DEBOLINA SARMA	SH. RATUL KUMAR SARMAH MOB- 9435402486	6	KHANAPARA
7	H.GINTHIANMANG	SH. H.SONGZAHAU & HATNGAIHCHING MOB- 8750887741	4	RANGIYA
8	AVISHIKTA MISTRI	SH. CHANGSARI MOB- 9836449952	6	KHANAPARA
9	AASTHA KUMARI	SH. VIVEK KUMAR MOB- 9864755181,7002006976	2	KHANAPARA
10	AARUSHI KUMARI	SH. VIVEK KUMAR MOB- 9864755181,7002006976	1	KHANAPARA

कृ. पृ. 3.

प. 01/07/21

निर्देश:-

- (i) विद्यार्थी, अन्यथा के. वि. सं. की वर्तमान प्रवेश दिशानिर्देशिका 2021-22 के अनुसार पात्र होना चाहिए ।
- (ii) इन प्रवेशों की संख्या कक्षा की नियत संख्या के ऊपर एवं अलावा (over and above) होगी।
- (iii) प्राचार्य, संबन्धित केन्द्रीय विद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त विद्यार्थी के अभिभावकों को प्रवेश हेतु अविलम्ब सूचित करें।
- (iv) प्रवेश की अंतिम तिथि 31.08.2021 है।



(पिया ठाकुर)

संयुक्त आयुक्त (शैक्षिक)

प्रतिलिपि:

1. Shri Biswajit Dalmary माननीय संसद सदस्य को ई मेल से सादर सूचनार्थ।
2. उपायुक्त, केविसं, **GUWAHATI** संभाग को सूचनार्थ। (ई. मेल)
3. प्राचार्य- संबन्धित विद्यालय को आवश्यक कार्यवाई हेतु। (ई. मेल)